बीस रुपये TWENTY RUPEES

1-

269

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /2016 रिव्यू रि-3698-I-16

1- गुड्डू उर्फ रेहान पुत्र श्री स्व.श्री फरीद खान
आयु 27 वर्ष, निवासी - चंदला तहसील चंदला
जिला छतरपुर, -- आवेदक

दिनांक 25-10-16 को
श्री ... अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
25-10-16

322
25-10-16

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र श्री उमाशंकर पटेल
2. गुलाब नाबालिग पुत्र उमाशंकर पटेल
सरपरस्त पिता उमाशंकर पुत्र गयादीन पटेल
निवासी चंदला तहसील चंदला जिला छतरपुर
-- असल रेस्पोंडेन्टगण
3. जलील खान पुत्र जुम्मन खान
4. शरीफ खान पुत्र जुम्मन खान
5. राजू
6. श्रीमती रुकसाना बेवा फरीद खान
समस्त निवासीगण - चंदला तहसील चंदला जिला
छतरपुर -- तरतीबी पक्षकारगण
7. मध्य प्रदेश शासन -- रेस्पोंडेन्ट

Filed by
MP Bhatnagar Adv
25/10/16

पुनर्विलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 391/ III /2014 व उन्वान अमित कुमार बनाम जलील खान आदि आदेश दिनांक 25-7-2016 से दुखित होकर।

======

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन निम्न तथ्यों आधारों

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 3698–एक/2016 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-02-2017	आवेदकगण की ओर से श्री एम.पी. भटनागर अभिभाषक उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्मयता पर तर्क सुने गये। यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.7.2016 का अवलोकन किया गया। म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा–51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है – 1– किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं था अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी या 2–मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती या 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐंसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय किया जाता है। सदस्य	